न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 89/2025

अनामिका हरजाई निवासी ब्लाक नं.सी–2 फलेट सं. सी–3 लारेन्स रोड केशवपुरम दिल्ली पिन 110035 ––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 11.11.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आॅनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1-Provide a certified chronological statement of all mutations (namantaran) recorded for this ancestral property, including for each entry:
Date of mutation and order number Legal basis of mutation(,sale deed, gift, inheritance, court order, etc-) Name of transfer or/previous owner and transferee/new owner
2- Certified Copies of Records Provide certified and altested copies of
All mutation orders and Form-V1 entries Jamabandi/Khatauni for the last 20 years
Current ownership record
3- Property Particulars Khawa No-: 321,Khata No-: 05, Village Amirpur Kheda, Tehsil Todaraisingh, District- Tonk, Rajasthan, Area: Appro 3.0731 hectares

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को पत्र क्रमांक 1876 दिनांक 24.09.2025, 1976 दिनांक 10.10.2025 व 2059 दिनांक 29.10.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोडारायसिंह तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

744